

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), जिला-खरगोन म.प्र.

(कार्यालय टेलीफोन नंबर-07282-232885 / E-mail ID : foodoffkr@mp.nic.in)

// विज्ञप्ति //

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के पत्र क्रमांक 1027/प्र.स.खाद्य/2021/29-1 भोपाल दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 में दिये निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नानुसार 11 दुकानविहीन ग्रामपंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकानें खोली जाने हेतु 25 वे चरण हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र करने हेतु पेपर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा रहा है। इस हेतु आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	अनुविभाग का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिनमें उ.मू.दुकान खोली जाना है।
1	खरगोन	खरगोन	मागरूल बुजुर्ग दसंगा (कुल-02)
2	भीकनगांव	भीकनगांव	बडियासहेजला, (कुल-01)
4-	मण्डलेश्वर	महेश्वर	सिटोका, महोद (कुल-02)
5-	बड़वाह	बड़वाह	बिंजलवाड़ा, फनगांव, जुलवानिया, टेमला, (कुल-4)
6-	कसरावद	कसरावद	बामन्दा, बारदेवला, (कुल-2)

उपरोक्तानुसार विस्तृत जानकारी वेबसाईट WWW.rationmitra.nic.in पर उपलब्ध है, जिस पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जाना है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015की कंडिका 8(1) सहपठित अनुसूची "दो" में संशोधन दिनांक 11 अप्रैल, 2016 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु निम्नांकित संस्थाएं/समूह/समिति पात्र है :-

क- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत (1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी (4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी।

ख- महिला स्व-सहायता समूह।

ग- संयुक्त वन प्रबंधन समिति।


अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी(रा) के कार्यालय में सम्पर्क करें। पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 157/खाद्य-2/2024 दिनांक 25/1/2024 में नियत अवधि 05/02/2024 तक सभी रिक्त स्थानों पर आवेदन प्राप्त ना होने के कारण नियत अवधि में वृद्धि की जाकर इच्छुक पात्र समितियां/ समूह ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20/02/2024 तक दर्ज कर सकते हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी,
जिला-खरगोन (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/274/खाद्य-2/2024
प्रतिलिपि :-

खरगोन,दिनांक 8/02/2024

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला-खरगोन।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला -खरगोन।
4. अनुविभागीय अधिकारी(रा0)समस्तजिला खरगोनकी संलग्न निर्देश पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
5. उपायुक्त सहकारिता, खरगोन।
6. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय खरगोन की ओर एक स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशन हेतु।
7. प्रबंधक संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या खरगोन।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत(समस्त).....जिला खरगोन की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
9. तहसीदार (समस्त).....जिला खरगोन की सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
10. सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (समस्त).....जिला खरगोन।
11. सचिव ग्राम पंचायत (समस्त)..... जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ तथा सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।


जिला आपूर्ति अधिकारी,
जिला-खरगोन (म.प्र.)